आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा

कमजोरों को क्रूरों से बचाना है

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 अक्तूबर।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि संघ प्रमुख ने कहा कि दुनिया में कमजोरों को क्रूरों से बचाना है तो हाथों में हथियार रखना ही होगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राष्ट्र में सभी की सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। जो लोग समाज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, देश को उनसे अवश्य निपटना चाहिए।

भागवत ने जम्मू में संघ के स्वयंसेवकों की एक सभा को संबोधित करते हुए अहिंसक, करुणावान, लचीलेपन और सुदृढ़ होने के महत्त्व पर भी बल दिया। संघ प्रमुख ने अहिंसा पर बल दिया लेकिन साथ ही यह भी कहा कि जो लोग समाज और राष्ट्र को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं, उनसे निपटने के लिए जो भी तरीका जरूरी हो, उसे अपनाना ही होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह गरीबों की मदद के लिए पैसा दान किया जाता है उसी तरह कमजोरों की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

भागवत ने कहा कि गरीबों की मदद के लिए पैसे दान में दिए जाते हैं तथा कमजोरों की मदद के लिए शक्ति का उपयोग किया जाता है। समाज और राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में यह भाव सभी के दिमाग में डाल दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि ये ऐसे मूल्य हैं जो हमारे धर्म में समाहित हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा कि लेकिन जहां कमजोर को क्रूर से बचाने की जरूरत हो तो व्यक्ति को जरूरत के हिसाब से ताकत के इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। संघ प्रमुख ने कहा कि दुनिया में कमजोरों को क्रूरों से बचाना है तो हाथों में हथियार रखना ही होगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राष्ट्र में सभी की सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कठुआ चौक पर जनसंघ संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी तथा एक मंदिर में पूजा-अर्चना की।

वे शहर के बाहरी इलाके जाखुद गए और भारत माता की प्रतिमा का अनावरण किया।

जम्मू में रविवार को नवरात्र के पहले दिन बाहु किले के अंदर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने काली माता मंदिर में पूजा-अर्चना की।

भागवत ने जम्मू में संघ के स्वयंसेवकों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग समाज और राष्ट्र को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं, उनसे निपटने के लिए जो भी तरीका जरूरी हो, उसे अपनाना ही होगा।

कांग्रेस नेता खेड़ा की याचिका पर आज सुनवाई करेगा कोर्ट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 अक्तूबर।

सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की उस अपील पर सोमवार को सुनवाई करेगा, जिसमें खेड़ा ने अपने विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इलाहाबाद हाई कोर्ट के इनकार को चुनौती दी है।

प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ टिप्पणी मामला।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी। यह मामला 13 अक्तूबर को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन खेड़ा के वकील द्वारा कुछ अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांगने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने 17 अगस्त को खेड़ा की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि मामले के जांच अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए सबूतों का मूल्यांकन मामले को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका में नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस नेता खेड़ा के खिलाफ असम और उत्तर प्रदेश में दर्ज तीन प्राथमिकी को 20 मार्च को एक साथ मिला दिया था और इन्हें उत्तर प्रदेश में लखनऊ के हजरतगंज थाने में स्थानांतरित कर दिया था।

राघव चड्ढा की याचिका पर भी सुनवाई आज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 अक्तूबर।

सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी (आप) नेता राघव चड्ढा के राज्यसभा से अनिश्चितकालीन निलंबन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा।

संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन 11 अगस्त को चड्ढा को 'नियमों के घोर उल्लंघन व अवमाननापूर्ण आचरण' के चलते विशेषाधिकार समिति की रपट आने तक निलंबित कर दिया गया।

राज्यसभा से निलंबन का मामला।

'आप' नेता ने वकील शादान फरासत के माध्यम से दायर अपनी याचिका में कहा है कि अनिश्चितकाल के लिए निलंबित किया जाना शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है और यह अतिरेक है। याचिका में कहा गया है कि निलंबन की शक्ति का उपयोग केवल ढाल के रूप में किया जा सकता है, तलवार के रूप में नहीं, यानी यह दंडात्मक नहीं हो सकती। इसमें कहा गया है कि यह निलंबन राज्यों की परिषद (राज्यसभा) में प्रक्रिया और कार्य संचालन की नियमावली के नियम 256 का स्पष्ट उल्लंघन है।

'विधायी कामकाज में एकरूपता के लिए बनेगा विशेष समूह'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 अक्तूबर।

संसद-20 (पी-20) के देशों में विधायी कामकाज में एकरूपता लाने के लिए जल्द ही एक विशेष समूह गठित किया जाएगा। इस समूह में पी-20 देशों के विधायी क्षेत्र से विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो विधायी प्रक्रिया की एकरूपता और कानूनों के मसौदे की दिशा में काम करेंगे। इस समूह में शामिल होने के लिए समूह के सभी देशों ने सहमति जताई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। ओम बिरला ने बताया कि पी-20 सम्मेलन में कुछ देशों ने कृत्रिम मेधा (एआइ- आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) के विश्वसनीय और उत्तरदायित्वपूर्ण प्रयोग और डेटा सुरक्षा पर बल दिया। सभी देशों ने उत्तरदायित्वपूर्ण तंत्र विकास और डेटा सुरक्षा से संबंधित आयामों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि तंत्र जवाबदेह और विश्वसनीय होना चाहिए। वैश्विक शांति और समृद्धि का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद शांति और विकास में बाधक है। आतंक के सभी स्रोतों को सामूहिक संकल्पशक्ति से परास्त करना होगा। ओम बिरला ने बताया कि नई दिल्ली में पी-20 शिखर सम्मेलन शिष्टमंडलों की भागीदारी के लिहाज से अब तक का सबसे सफल आयोजन रहा।

POST-OFFER ADVERTISEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF

ADLINE CHEM LAB LIMITED

Registered Office: 904, 9th Floor, Shapath-I Complex, Opp. Rajpath Club Nr. Madhur Hotel, S. G. Highway, Bodakdev, Ahmedabad - 380054, India
Tel. No. +91-9227714587; E-mail: info@kamronlabs.in; Website: www.kamronlabs.com;
CIN: L24231GJ1988PLC010956

IN TERMS OF REGULATION 18(12) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AND SUBSEQUENT AMENDMENTS THEREOF

This Post Offer Advertisement is being issued by Kunvarji Finstock Private Limited ('Manager to the Offer') on behalf of Mr. Hemant Amrish Parikh ("Acquirer") in connection with the Open Offer made by the Acquirers to acquire 15,21,000 (Fifteen Lakhs Twenty-One Thousand Only) Equity Shares having a Face Value of ₹ 10.00/- each ("Equity Shares") of the Target Company at ₹ 5.25/- (Five Rupees and Twenty Five Paisa Only) per Equity Share, representing 26.00% of the Equity Share Capital of the Target Company ("Offer"), in compliance with Regulation 18(12) of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, and subsequent amendments thereof. The Detailed Public Statement ("DPS") with respect to the aforementioned Open Offer was made May 24, 2023, in Financial Express (English), Financial Express (Gujarati) and Jansatta (Hindi).

1.	Name of the Target Company	:	Adline Chem Lab Limited
2.	Name of the Acquirer	:	Mr. Hemant Amrish Parikh ("Acquirer")
3.	Name of the Manager to the Offer	:	Kunvarji Finstock Private Limited
4.	Name of the Registrar to the Offer	:	Bigshare Services Private Limited
5.	Offer details a.) Date of opening of the Offer b.) Date of closing of the Offer	: :	Thursday (07/09/2023) Thursday (21/09/2023)
6.	Date of completion of payment of consideration and communication of Rejection/Acceptance	:	Monday (09/10/2023)

Details of Acquisition:

Sr.	Particulars	Proposed in the Letter of Offer		Actuals	
1.	Offer Price (in Rs.)	₹ 5.25/- (Five Rupees and Twenty Five Paisa Only)		₹ 5.25/- (Five Rupees and Twenty Five Paisa Only)	
2.	The aggregate number of Shares tendered	15,21,000 Equity Shares		400 Equity Shares	
3.	The aggregate number of Shares accepted	15,21,000 Equity Shares		400 Equity Shares[1]	
4.	Size of the offer (the number of Equity Shares multiplied by the Offer Price per Equity Share)	₹ 79,85,250/- (Rupees Seventy-Nine Lakh Eighty-Five Thousand Two Hundred and Fifty Only		₹ 2100/- (Rupees Twenty One Hundred Only)[2]	
5.	Shareholding of the Acquirer • Number • % of Equity Share Capital	80,000[4] 1.37%		80,000 1.37%	
6.	Shares agreed to be acquired by way of a Share Purchase Agreement ('SPA') • Number • % of Equity Share Capital	14,32,040 24.48%		14,32,040[3] 24.48%	
7.	Shares acquired by way of Open Offer • Number • % of Equity Share Capital	15,21,000 26.00%		400[2] 0.00%	
8.	Shares acquired after Detailed Public Statement ('DPS') • Number • % of Equity Share Capital • Price of the Shares Acquired	Nil Nil Not Applicable		Nil Nil Not Applicable	
9.	Detail	Pre Offer		Post Offer	
		No. of Shares	% of Equity Share Capital	No. of shares	% of Equity Share Capital
	Pre & Post offer Shareholding of the Acquirer	80,000	1.37%	15,12,440	25.85%
	Post-offer shares held by existing Promoter/Promoter group	16,51,840	28.24%	2,19,800	3.76%
10.	Detail	Pre Offer		Post Offer	
		No. of Shares	% of Equity Share Capital	No. of shares	% of Equity Share Capital
	Pre & Post offer Shareholding of the Public	41,98,160	71.76	41,17,760	70.39%

(1) All 400 tendered Equity shares were in dematerialized form.
(2) 400 Equity Shares in dematerialized form were validly tendered and accepted in the open offer
(3) The Acquirer will consummate the transaction in accordance with the SPA executed on May 17, 2023
(4) Acquirer holds 80,000 (Eighty Thousand only) Equity Shares carrying voting rights representing 1.37% of the Paid-up Equity Share Capital of the Target Company.

The Acquirer accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for the obligations under SEBI (SAST) Regulations, 2011.
A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI and BSE Limited.
Capitalized terms used in this advertisement, but not defined herein, shall have the same meanings assigned to such terms in the Letter of Offer dispatched on August 31, 2023.

ISSUED BY THE MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER

KUNVARJI
Let's Grow Together

KUNVARJI FINSTOCK PRIVATE LIMITED
Registered Office: Block B, First Floor, Siddhi Vinayak Towers, Off S.G. Highway Road, Makarba, Ahmedabad, Gujarat – 380051
Corporate Office: 1208-20, 12th Floor, Summit Business Bay, Opp. PVR Cinema, Near Western Express Highway –Metro Station, Andheri(E), Mumbai, Maharashtra – 400093
CIN: U65910GJ1986PTC008979
Contact Person: Mr. Jiten Patel/ Mr. Prasann Bhatt
Tel No.: +91 22 69850000 | 91 79-6666 9000, Website: www.kunvarji.com , Email: mb@kunvarji.com
SEBI Reg. No. : INM000012564

For and on behalf of the Acquirer

Date: October 16, 2023
Place: Ahmedabad

Mr. Heman Amrish Parikh
Acquirer

बजाज फाइनैंस लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय : तृतीय तल, पंचशील टेक पार्क, विमान नगर, पुणे – 411014, महाराष्ट्र **शाखा कार्यालय :** 11वां तल, कार्यालय सं. 1152, अग्रवाल मेट्रो हाइट्स, प्लॉट नंबर ई5, नेताजी सुभाष पैलेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034

कब्जा सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(1). (परिशिष्ट–IV) के तहत

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स बजाज फाइनैंस लिमिटेड (बीएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदार(रों)/सह कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) को मांग सूचना(एं) जारी की थीं, जिनमें उनसे संबंधित सूचना में वर्णित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार/सह कर्जदार/गारंटर उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार(रों)/सह कर्जदार(रों)/ गारंटर(रों) और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स बजाज फाइनैंस लिमिटेड की ओर से उक्त नियमावली के नियम 8(1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। कर्जदार(रों)/सह कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सामान्य रूप से इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार कर्जदारों पर बीएफएल की इसमें वर्णित राशि(यों) तथा उस पर आगे ब्याज के प्रथम प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) का नाम (एलएएन नंबर, शाखा का नाम)	प्रत्याभूत आस्ति का वर्णन (अचल सम्पत्ति)	मांग सूचना तिथि और राशि	कब्जा की तिथि
शाखा : दिल्ली (एलएएन : 401FSP25097782 तथा 401FSP25100078) 1. **विपुल मित्तल** (कर्जदार) 2. **कपिल मित्तल** (सह–कर्जदार) 3. **विपुल मित्तल** (एचयूएफ) (सह–कर्जदार) 4. **नरेश मित्तल** (एचयूएफ) (सह–कर्जदार) **1 से 4 का पता :** 97, चंदर लोक एन्क्लेव, पीतमपुरा, सरस्वती विहार, नई दिल्ली–110084	निम्नवर्णित गैर–कृषि सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति म्युनिसिपल नंबर 97 (परिमाप 302 वर्ग गज), स्थित लेआउट प्लान चंदर लोक तथा माडल ए.आर.पी. कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी वर्तमान में चंदर लोक के नाम से ज्ञात, राजस्व सम्पदा शकूरपुर एवं पीतमपुरा, दिल्ली (श्रीमती रेखा मित्तल और श्रीमती सजेता मित्तल सम्पत्ति की संयुक्त स्वामिनी हैं तथा सम्पत्ति का वैध स्वत्वाधिकार है), उत्तर : सम्पत्ति सं. 98, पूरब : 45 चौड़ी रोड, दक्षिण : सम्पत्ति सं. 96, पश्चिम : सर्विस लेन	**21 जुलाई, 2023 रू. 9,40,55,560/–** (रूपए नौ करोड़ चालीस लाख पचपन हजार पांच सौ साठ मात्र)	13–10–2023

5. हाईटेक ग्रेन प्रोसेसिंग प्रा. लिमिटेड (सह–कर्जदार) पता : जी–36, लारेंस रोड आईएचडी एरिया, नई दिल्ली–110035
6. सजेता मित्तल (सह–कर्जदार) **7. रेखा मित्तल** (सह–कर्जदार) **8. आशा मित्तल** (सह–कर्जदार)
9. नरेश मित्तल (सह–कर्जदार) 6 से 9 का पता : 97, चंदर लोक एन्क्लेव, पीतमपुरा, सरस्वती विहार, नई दिल्ली–110084

तिथि : 16–10–2023 स्थान :– दिल्ली/एनसीआर **प्राधिकृत अधिकारी, बजाज फाइनैंस लिमिटेड**

KVB Karur Vysya Bank
Smart way to bank

परिसंपत्ति वसूली शाखा, नं. 6, तृतीय तल, मेट्रो पिलर नं. 80 के सम्मुख, पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110 005
दूरभाष : 011–35008283, मोबाइल नं.: 7823919520

अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के साथ नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई–नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्द्वारा जनसाधारण तथा विशेष रूप में ऋणकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता, दि करूर वैश्य बैंक लिमिटेड के पास बंधककृत/प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्तियां, जिनका भौतिक अधिग्रहण दि करूर वैश्य बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा कर लिया गया है, का विक्रय 07 नवंबर 2023 को ''जैसी है जहां है'', ''जैसी है जो है'' और ''वहां जो कुछ भी है'' आधार पर किया जायेगा। यह विक्रय रु. 79,06,34,987.89/– (रुपये उन्यासी करोड़ छह लाख चौंतीस हजार नौ सौ सत्तासी एवं नवासी पैसे मात्र), 30.09.2023 के अनुसार, तथा राशि पर ब्याज एवं व्ययों की वसूली के लिये जायेगा, जो कि (1) मैसर्स आजाद इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : खसरा नं. 73/19/2 और 22/1, रोहतक रोड, ग्राम मुंडका, नई दिल्ली–110041, (2) श्री अनिल कुमार गोयल पुत्र श्री प्रेम सागर गोयल, निवासी 450, प्रथम तल, दीपाली, पीतमपुरा, दिल्ली–110034, (3) श्री आकाश गोयल पुत्र श्री अनिल कुमार गोयल, निवासी 450, प्रथम तल, दीपाली, पीतमपुरा, दिल्ली–110034, (4) श्रीमती रेणु अग्रवाल, पत्नी श्री सुमित गोयल, निवासी 450, प्रथम तल, दीपाली, पीतमपुरा, दिल्ली–110034, (5) श्रीमती सुमन रानी पत्नी श्री अनिल कुमार गोयल, 450, प्रथम तल, दीपाली, पीतमपुरा, दिल्ली–110034 तथा (6) श्री सुमित गोयल पुत्र श्री चंद गोयल, 450, प्रथम तल, दीपाली, पीतमपुरा, दिल्ली–110034 की ओर से दि करूर वैश्य बैंक लिमिटेड, प्रतिभूत ऋणदाता को देय–भुग्तेय है।

अचल संपत्तियों का विवरण

आरक्षित मूल्य : आरक्षित मूल्य रु. 10,00,00,000/– (रुपये दस करोड़ मात्र) होगा तथा धरोहर राशि जमा रु. 1,00,00,000/– (रुपये एक करोड़ मात्र) होगी।

बंधक प्रलेखों के अनुसार विवरण : वाणिज्यिक संपत्ति (क्षेत्रफल 1250 वर्ग गज) जिसमें एक मंजिला भवन समाविष्ट है, जो 73/19/2(1-05) एवं 73/22/1(3-08) पर, मुंडका, स्वर्ण पार्क में स्थित तथा श्रीमती सुमन रानी पत्नी श्री अनिल कुमार गोयल के नाम पर प्रविष्ट तथा निम्नानुसार परिसीमित है :–
उत्तर– सड़क, दक्षिण– सड़क, पूर्व– सड़क, पश्चिम– अन्य की संपत्ति

तिथि के अनुसार स्थलानुसार विवरण :
वाणिज्यिक/औद्योगिक स्वामित्वधारक संपत्ति अधिमापन 1250 वर्ग गज जो 11250 वर्ग फुट के शेड/भवन से युक्त, लघु कार्यालय के साथ, मुंडका की राजस्व संपदा (राजधानी मेट्रो स्टेशन के समीप), स्वर्ण पार्क, मुंडका, दिल्ली – 110041 में स्थित, श्रीमती सुमन रानी पत्नी श्री अनिल कुमार गोयल के नाम पर प्रविष्ट तथा निम्नानुसार परिसीमित है :–
उत्तर– सड़क, दक्षिण– 18 फुट सड़क, पूर्व– 13 फुट सड़क, पश्चिम– अन्य की संपत्ति।

विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया दि करूर वैश्य बैंक लिमिटेड की वेबसाइट अर्थात् **www.kvb.co.in/Property** में नीलामी के तहत तथा सेवा प्रदाता, मैसर्स 4क्लोजर के वेब पोर्टल स **https://bankauctions.in** पर भी दिए गए लिंक को देखें।

सरफॉएसि अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित नियम 9(1) के अंतर्गत 15 दिवसीय सांविधिक सूचना**
उधारकर्ता और गारंटर/रों को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वे इस सूचना की प्राप्ति के 15 दिवसों के अंदर अद्यतन ब्याज एवं आनुषंगिक व्ययों के साथ उपरोक्त अंकितानुसार बकाया राशि का भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर अनुसूचीगत संपत्ति की नीलामी/विक्रय कर दिया जायेगा तथा शेष बकाया राशि, यदि कोई हो, की वसूली ब्याज एवं लागत सहित की जायेगी।

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 16–10–2023
कृते दि करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी

KVB 13 12 AKS (6)

दिग्विजय सिंह के इस्तीफे का दावा संबंधी

फर्जी पत्र सोशल मीडिया पर प्रसारित

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 अक्तूबर।

कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई ने रविवार को पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें दावा किया गया है कि एक फर्जी पत्र सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया ताकि यह धारणा बनाई जा सके कि पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद इस्तीफा दे दिया है।

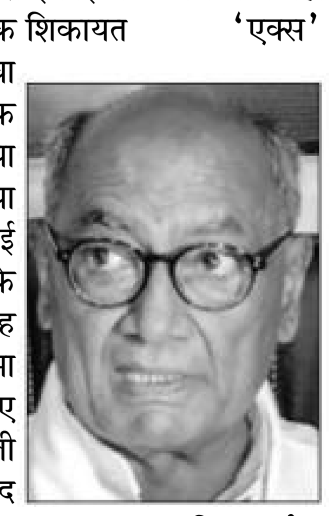

कांग्रेस ने 17 नवंबर को होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 144 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची रविवार को जारी की, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ समेत 69 मौजूदा विधायकों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को राघौगढ़ से और उनके भाई लक्ष्मण सिंह को गुना के चचौरा विधानसभा सीट से टिकट दिया है। ये दोनों मौजूदा विधायक हैं। दिग्विजय सिंह ने 'एक्स' पर पोस्ट में कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) झूठ बोलने में माहिर है। मैंने 1971 में किसी पद के लिए नहीं, बल्कि पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता ली थी। मैं अपनी अंतिम सांस तक कांग्रेस के साथ रहूंगा। मैं पुलिस में शिकायत दर्ज करा रहा हूं।

'एक्स' पर अपनी पोस्ट के साथ, पूर्व मुख्यमंत्री ने 'फर्जी त्याग पत्र' संलग्न किया, जिसमें (पत्र) दावा किया गया है कि पार्टी टिकटों के लिए सिंह द्वारा अनुशंसित नामों पर विचार नहीं किया गया।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को संबोधित 'फर्जी' पत्र में कहा गया है कि निष्ठावान कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दिए जाने से मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची है।' फर्जी पत्र में कहा गया है कि भारी मन से मैं पार्टी के साथ अपना जुड़ाव खत्म करने के अपने फैसले की घोषणा करता हूं।

कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता समेत सभी पद से इस्तीफा देता हूं। इसे स्वीकार करें। बाद में, सिंह ने अपनी पार्टी द्वारा भोपाल पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ को सौंपे गए शिकायत पत्र की एक प्रति 'एक्स' पर साझा की। उन्होंने लिखा कि मप्र के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सर, क्या आप इन झूठों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करेंगे।

जनसत्ता
क्लासीफाइड
व्यक्तिगत

I, Vikas Prabhakar, S/O Charanjeet Lal Prabhakar R/O Flat No. A 704, Gokul Apartment, Plot 5B, Sec -11 Dwarka, Delhi-110078, Have Changed My Name to Vikash Prabhakar for All Purposes.
0040693848-1

I, Intezar Ali S/o Chaudhary Khurshard Ali R/o 186, Maharajpur, Ghaziabad have changed my name to Chaudhary Intzar Ali.
0070868546-1

I, Jaibuneesa W/o Chaudhary Intzar Ali R/o 186, Maharajpur, Ghaziabad have changed my name to Zabunnisha.
0070868548-1

I, Km Dipti Chaturvedi W/o Dharmendra Kumar Pathak R/o 165, Amritpur, Farrukhabad, UP have changed my name to Dipti Chaturvedi forever.
0070868583-1

I, Nidhi, D/o Ravinder Singh, R/o S-169, Third Floor, Aram Bagh, Chitragupta Road, near Durga Pooja Park, Paharganj, Delhi-110055, have changed my name and shall hereafter be known as Nidhi Gusain.
0040693874-1

केदारनाथ धाम में हुई बर्फबारी, बढ़ी ठंड

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 15 अक्तूबर।

नवरात्र शुरू होते ही केदारनाथ धाम में बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे धाम में अब ठंड बढ़ गई है। हालांकि मंदिर समिति तथा प्रशासन ने तीर्थयात्रियों के लिए अलाव, आश्रय, गर्म पानी आदि की व्यवस्था की है। सर्द मौसम के बाद भी केदारनाथ में तीर्थयात्री बड़ी संख्या में धाम पहुंच रहे हैं।

पुरोहित ने बताया कि गंगोत्री के कपाट 14 नवंबर को बंद किए जाएंगे।

वहीं नवरात्र के पहले दिन गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि व समय घोषित किया गया है। इस बाबत गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित पंडित दीपक सेमवाल ने बताया कि गंगोत्री धाम के कपाट 14 नवंबर कार्तिक शुक्ल पक्ष को अन्नकूट के पावन पर्व पर देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। गंगोत्री धाम के 14 नवंबर को 11 बजकर 45 मिनट पर बंद कर दिए जाएंगे।

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक
(अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

पंजीकृत कार्यालय: दि फेयरवे, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ डोमलूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लाघट्टा, बैंगलोर-560071
अचल शाखा कार्यालय: 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए. आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005

ई-नीलामी सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) और 9 के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत ई-नीलामी द्वारा से बिक्री के लिय सार्वजनिक सूचना

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में निम्न सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है, विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक के बकाया की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित खाते में बंधक संपत्ति की नीचे वर्णित तिथि को ''जैसा है जहां है आधार'' तथा ''जो कुछ भी वहाँ है अधार'' पर ऑनलाइन (ई-नीलामी) द्वारा बिक्री की जाएगी।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	मूल ऋणधारक/सह-ऋणधारक/ गारंटर के नाम	13-2 सूचना की तिथि	कब्जा की तिथि	12.10.2023 को वर्तमान बकाया	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि तथा समय	आरक्षित मूल्य आई एन आर में	धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) आई एन आर में	ई-नीलामी की तिथि तथा समय	बोली जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान
1	47939420000393	1) श्रीमती ज्योति शर्मा, पुत्री अमर नाथ शर्मा (आवेदक), 2) नीरज शर्मा, पुत्र सोहनलाल शर्मा (सह-आवेदक)	6-1-2023	11-09-2023	रु. 26,06,024.04/– (रुपये छब्बीस लाख छह हजार चौबीस पैसे चार मात्र)	31.10.2023 को 09:00 बजे पूर्वा. से 05:30 बजे अप.	रु. 16,34,000/- (रुपये सोलह लाख चौंतीस हजार मात्र)	रु. 1,63,400/- (रुपये एक लाख तिड़ेसठ हजार चार सौ मात्र)	20.11.2023 को 11:00 बजे पूर्वा. में	18.11.2023 को 5.00 बजे अप. से पूर्व, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय : 16/12, 2रा तल, डब्ल्यू.ई.ए. आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005

प्रतिभूत संपत्तियों का विवरण: सम्पत्ति का विवरण : श्रीमती ज्योति शर्मा, पत्नी श्री नीरज शर्मा के स्वामित्व में सिद्धार्थ एन्क्लेव, गली नं.3 उत्तम नगर, नई दिल्ली- 110059 के नाम से विदित आबादी में ग्राम नवादा माजरा, दिल्ली राज्य दिल्ली के क्षेत्र में स्थित निर्मित तीसरा तल, बैंक साइड एलएचएस, छत/ट्रेस्से के अधिकार के साथ, अनुपातिक एरिया माप 55 वर्ग यार्ड्स, सम्पत्ति प्लॉट नं. 6 एवं 7 (200 वर्ग यार्ड्स में से), खसरा नं. 319 में स्थित, चौहदीः पूर्वः प्लॉट नंबर 5, पश्चिमः प्लॉट नंबर 8, उत्तरः सड़क 25 फीट, दक्षिणः गली 06 फीट गली।

संपत्तियों की बिक्री **''जैसा है जहां है आधार'' एवं ''जो भी जैसा है अधार''** पर की जाएगी तथा ई-नीलामी 'ऑन लाइन' होगी। नीलामी बैंक के स्वीकृत सेवा प्रदाता मैसर्स 4क्लोजर द्वारा वेब पोर्टल https://bankauctions.in एवं www.foreclosureindia.com द्वारा संचालित होगी । विस्तृत जानकारी विवरणों, सहायता प्रक्रिया तथा ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिये संभावित बोलीदाता मैसर्स 4क्लोजर; सम्पर्क श्री भास्कर नायडू से संपर्क नंबर: 8142000809/8142000061. ईमेल आईडीः info@bankauctions.in / subbarao@bankauctions.in पर संपर्क कर सकते हैं।

विस्तृत विवरणों, नियमों एवं शर्तों तथा ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिये एवं सम्पत्ति-संबंधी किसी भी पूछताछ के लिये कृपया सम्पर्क करें: जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के अधिकारी श्री राकेश शर्मा (मो. 7230070463) श्री शशि कुमार (मो. 8700277112) एवं रंजन नाइक (मो. 9590858249) प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं जानकारी में सम्पत्ति पर काई अधिभार नहीं है। फिरभी, अपनी बोली जमा करने से पूर्व इच्छुक बोलीदाता अधिकारों, सम्पत्ति के टाइटल के विषय में स्वयं की अपनी स्वतंत्र जाँच कर लें। शर्तपूर्ण बोली स्वीकार नहीं होगी। यह गिरवी सम्पत्तियों के लिये अनुसूचित ई-निलामी के विषय में ऊपर नामित ऋणधारक/गारंटर/मार्टगैजरों के लिए भी एक सूचना है। एतद्द्वारा ऋणधारक/गारंटर/मार्टगैजर को सूचित किया जाता है कि नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज तथा अनुषांगिक खर्चों के साथ उपरोक्त राशि का भुगतान करें अन्यथा सम्पत्ति की बिक्री की जाएगी तथा शेष बकाया राशि, यदि कोई हो, की ब्याज तथा लागत के साथ वसूली की जाएगी।

दिनांकः 16.10.2023, स्थानः दिल्ली
हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

फॉर्म नं. यूआरसी–2
अधिनियम के अध्याय XXI के भाग I के तहत पंजीकरण के बारे में सूचना देने वाला विज्ञापन [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374 (बी) और कंपनी (पंजीकरण के लिए अधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4 (1) के अनुसार]

1. इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप–धारा (2) के अनुसरण में, एक आवेदन इसके पंद्रह दिनों के बाद लेकिन इसके बाद तीस दिनों की समाप्ति से पहले नए रजिस्ट्रार के पास करने का प्रस्ताव है। दिल्ली एवं हरियाणा कि मै. **जय हनुमान एंटरप्राइजेज**, एक साझेदारी फर्म को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग I के तहत शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।
2. कंपनी के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं : उत्पादन, तैयारी, निर्माण, खरीद, बिक्री, विनिमय, आयात, निर्यात और आम तौर पर सभी प्रकार के ऑटोमोबाइल घटकों और भागों में कच्चे माल और उपभोग्य सामग्रियों, या किसी अन्य का सौदा करना। ऑटोमोटिव या समान अनुप्रयोगों का प्रकार।
3. प्रस्तावित कंपनी के ड्राफ्ट मेमोरेंडम और एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन की एक प्रति का निरीक्षण **एसी–38, अशोक क्रिसेंट, डीएलएफ चरण I, गुड़गांव, हरियाणा –122002** स्थित कार्यालय में किया जा सकता है।
4. इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामले संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नंबर 6,7,8 सेक्टर 5, आईएमटी में रजिस्ट्रार को लिखित रूप में अपनी आपत्ति बता सकता है। मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड – 122050, इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर, एक प्रति के साथ अपने पंजीकृत कार्यालय में जमा करें।

दिनांक 14 अक्टूबर, 2023
जय हनुमान इंटरप्राइजेज पार्टनरशिप फर्म के लिए
हस्ता./–
अशोक कपूर
पार्टनर

www.readwhere.com